



शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, बेरी बाग सहारनपुर-247001
पत्रांक-एस.एस.ए./आर0टी0ई0/ 272-695 /2019-20 दिनांक 27-4-2019

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य

विद्यालय नं. 2522 बेरी बाग
पोस्टल कोड 247001

महोदय,

शासनादेश सं0-3087(1)/79-5-2012-29/2009टी0सी0-॥ दिनांक 03.12.2012, शासनादेश सं0-238/79-6-2013 दिनांक 20.06.2013, शासनादेश सं0-266/79-5-2016-29 /2009 टी0सी0-॥ दिनांक 24 फरवरी 2016, शासनादेश सं0-582/79-5-2016-29/2009 टी0सी0-॥ दिनांक 03 मार्च 2016, शासनादेश सं0-आर0टी0ई0-25% /8488/2015-16 लखनऊ दिनांक 04.03.2016, तथा शिक्षा निदेशक (बेसिक) के पत्र सं0-शि0नि0(बे0)/अ0शि0नि0(शिविर) /73583-74000/2018-19 दिनांक 11 जनवरी, 2019 में विहित निर्देशों के अनुक्रम में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत दुर्बल एवं अलाभित समूह के बच्चों को शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र सं0- शि0नि0(बे0)/अ0शि0नि0(शिविर) /7113-7286 /2019-20 दिनांक 23 अप्रैल, 2019 के अनुपालन में ऑनलाइन तथा ऑफलाइन प्राप्त आवेदनों के आधार पर ऑनलाइन तथा ऑफलाइन लाटरी के माध्यम से विद्यालय आवंटित किये गये, जिसकी सूची पत्र के साथ संलग्न है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि संलग्न सूची के अनुसार बच्चों का प्रवेश कर निम्न प्रारूप पर सूचना एक सप्ताह के अन्दर नगर शिक्षा अधिकारी कार्यालय नुमाईश कैम्प, सहारनपुर में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे आपको शुल्क प्रतिपूर्ति एवं बच्चों को वित्तीय सहायता की धनराशि उपलब्ध करायी जा सके तथा समयान्तर्गत सूचना शासन को प्रेषित की जा सके।

1. विद्यालय को शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु प्रारूप-

विद्यालय का नाम	विद्यालय का खाता संख्या	बैंक का नाम	आई0एफ0एस0सी0 कोड

2. बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रारूप-

क्र. सं.	छात्र का नाम	अभिभावक का नाम	कक्षा	छात्र/अभिभावक का खाता सं0	बैंक का नाम	आई0एफ0एस0सी0 कोड

(रमेन्द्र कुमार सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
सहारनपुर।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, महोदय सहारनपुर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
सहारनपुर।

कार्यालय आदेश

जनपद सहारनपुर में संचालित समस्त अशासकीय गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-12(1)(ग) के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश सं०-3087(1)/79-5-2012-29/2009टी०सी०-॥ दिनांक 03.12.2012, शासनादेश सं०-238/79-6-2013 दिनांक 20.06.2013, शासनादेश सं०-266/79-5-2016-29/2009 टी०सी०-॥दिनांक 24 फरवरी 2016, शासनादेश सं०-582 /79-5-2016-29/2009 टी०सी०-॥ दिनांक 03 मार्च 2016, शासनादेश सं०-आर०टी०ई०-25%/8488/2015-16 लखनऊ दिनांक 04.03.2016, तथा शिक्षा निदेशक (बेसिक) के पत्र सं०-शि०नि०(बे०)/अ०शि०नि०(शिविर)/73583-74000/2018-19 दिनांक 11 जनवरी, 2019 में विहित शक्तियों के आधार पर आदेशित किया जाता है कि 'अलाभित समूह' एवं 'दुर्बल वर्ग' के बच्चों को निजी विद्यालयों में कक्षा 1 एवं पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में 25 प्रतिशत सीमा के अन्तर्गत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची के अनुसार प्रवेश कराना आवश्यक है। शासन की इस महत्वपूर्ण योजना के सफल संचालन हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(आलोक कुमार पाण्डेय)
जिलाधिकारी
सहारनपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी, सहारनपुर।

पृ०सं०-एस.एस.ए./ आर०टी०ई०-25%/ 633-640 /2019-20 दिनांक- 27/04/2019
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, बेसिक शिक्षा, शिक्षा-5 अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, लखनऊ।
3. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. जिला विद्यालय निरीक्षक, सहारनपुर।
5. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर।
6. वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, सहारनपुर।
7. समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, मान्यता प्राप्त विद्यालय जनपद सहारनपुर को उक्त के अनुपालनार्थ।

जिलाधिकारी
सहारनपुर।